कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मॉ वैष्णो स्टोन सप्लायर्स, ठण्डी सड़क, फर्रुखाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**304 / 08, 20.06.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री मॉ वैष्णो स्टोन सप्लायर्स, ठण्डी सड़क, फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 20.06.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है। प्रश्नकर्ता व्यापारी ग्रिट / गिट्टी का प्रान्त बाहर से आयात करते हैं। इनके द्वारा क्रेसर से तोड़ी गई छोटी गिट्टी तथा मजदूरों द्वारा तोड़ी गयी बड़ी साइज की गिट्टी जिसे इनके द्वारा खण्डा पत्थर कहा गया है पर कर की दर के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 02.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि छोटी गिट्टी तथा बड़ी गिट्टी सभी ग्रिट के अन्तर्गत आते हैं। बड़ी गिट्टी को खण्डा पत्थर मानकर उस पर 12.5% की दर से करदेयता नहीं निर्धारित की जा सकती है। सभी प्रकार के पत्थर की गिट्टी चाहे वह किसी भी पत्थर अथवा खण्डा की हो ग्रिट के अन्तर्गत 4% की दर से करयोग्य होगी।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.06.2008 को धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। तत्समय उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-109 पर '' River sands and grit. '' नामक प्रविष्टि थी। इस प्रविष्टि के कारण पूर्व में भ्रम एवं विवाद की स्थिति थी तथा इस सम्बन्ध में कई मामलों में धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय दिया जा चुका है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-109 पर दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी प्रविष्टि '' Sand, gitti, bajri, Kankar, stone ballast, stone but not including glazed stone, marble and marble chips. '' प्रतिस्थापित कर दी गयी है जिससे प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर स्वत: मिल जाता है। इस प्रकार गिट्टी एवं खण्डा पत्थर पर उक्त प्रविष्टि के अनुसार 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-109 पर दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी प्रविष्टि से स्पष्ट है कि वर्तमान में खण्डा पत्थर एवं गिट्टी दोनों पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

.....2

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 16 जनवरी, 2014

ह0 / 16.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।